FINANCE (LOTTERIES) DEPARTMENT

The 16th February, 1973

No. DOL/HR/73/13676.—The Governor of Haryana is pleased to appoint Shri O. P. Singh, Administrative Officer, Nilokheri, against one of the posts of Assistant Treasury Officers in the scale of Rs 300—25—600 in the Directorate of Haryana State Lotteries with effect from 16th February, 1973 (forenoon).

N. N. KASHYAP,
Financial Commissioner, Revenue & Secy.

HARYANA STATE LOTTERIES

The 20th February, 1973

No. DOL/HR/73/13805.—The Governor of Haryana is pleased to select the following persons as Judges for the supervision of the 40th Draw to be held on 21st February, 1973 :—

1. Mrs. Indira Chakravarty, wife of Shri B. N. Chakravarty, ICS., Governor, Haryana, Chandigarh.
2. Mrs. Jain, wife of Shri P. C. Jain, Justice, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
3. Shri H. L. Gugnani, I.A.S., Managing Director, Haryana Breweries Ltd., Chandigarh.
4. Shri M. G. Gupta, I. A & A. S., Senior Deputy Accountant-General, Haryana, Chandigarh.
5. Shri J. S. Dulat, I. R. S., Assistant Commissioner of Income-Tax, Chandigarh.
6. Shri S. D. Ganda, General Manager, State Bank of Patiala, Sector 17, Chandigarh.

H. K. JAIN,
Director of Lotteries and Deputy Secretary to Government, Haryana, Finance Department.

राजस्व विभाग

कारीजेन्डम

दिनांक 15/16 फरवरी, 1973

क्रमांक 4852-ज-I-72/4901.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 822-ज-I-72/29043, दिनांक 3 अगस्त, 1972 के कालम नं. 3, क्रमांक 6, के आगे "सन्दखी" की बजाये "सन्दोखी" पढ़ा जाये।

युद्ध जागीर

दिनांक 16/19 फरवरी, 1973

क्रमांक 145-ज(II)-73/5039.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसमें आज तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	राशि
						रु०
1	रोहतक	श्रीमती लाडो देवी, विधवा श्री सुभा चन्द	खेड़ी आसरा	झज्जर	खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जगीर दी गयी	राशि
						रुपए
2	रोहतक	श्रीमती भरपाई देवी, विधवा श्री भगवान सिंह	कासनी	झज्जर	खरीफ़, 1967 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ, 1970 से	150
3	,,	श्रीमती सुरती देवी, विधवा श्री पतराम	दुजाना	,,	रबी, 1968 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150
4	,,	श्री झुन्डा सिंह, पुत्र श्री रामप्रशाद	लडान	,,	खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150
5	,,	श्री मनफूल, पुत्र श्री हरशाह	सुनारी कलां	रोहतक	रबी, 1966 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150

दिनांक 20 फ़रवरी, 1973

क्रमांक 3704-ज(I)-72/5320.—पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1943 (जैसा कि उस में आज तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती भाईया देवी, विधवा श्री गंडा सिंह, ग्राम मगरपुरा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को खरीफ, 1964 से रबी, 1970 तक 100 रुपये तथा खरीफ, 1970 से आगे 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 69-ज (II)-73/5327.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उस में आज तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं:—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गयी	राशि
						रुपए
1	करनाल	श्री ब्रह्मा नन्द, पुत्र धनी राम	पावटी	पानीपत	खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150
2	,,	श्री गोपी, पुत्र मोहन	बावैल	,,	खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150
3	,,	श्री भगवान सिंह साहनी, पुत्र श्री जुग लाल	नगुरां	कैथल	खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150
4	,,	श्री करम सिंह, पुत्र श्री मनी राम	गुलियाना	,,	खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150
5	,,	श्रीमती भरावां देवी, विधवा श्री महताब राम	शाहबाद मारकंडा	थानेसर	खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़, 1970 से	150